



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1418]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 2006/अग्रहायण 6, 1928

No. 1418]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 2006/AGRAHAYANA 6, 1928

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

का.आ. 2031(अ).- पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986(1986 का 29) की धारा 12 और 13 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए नीचे तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं तथा केन्द्र सरकार या उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्तियां प्रदान किए गए अधिकारी द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के लिए उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषक के तौर पर मान्यता प्रदान करती है तथा इस उद्देश्य के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ.728(अ) दिनांक 21 जुलाई, 1987 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामशः :-

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में क्रम सं.133 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी, नामशः :-

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	विश्लेषक का नाम
1	2	3
"134.	मै.एनवायरो - इन्टरनेशनल, प्लॉट नं.138, उद्योग केन्द्र - II एक्सटेंशन, ईकोटेक - III, ग्रेटर नोयडा	1. डा.विपुल कुमार 2. श्री रविन्द्र पाल मारवाह
135.	मै.श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, 19, यूनिवर्सिटी रोड, दिल्ली - 110007	1.डा. वी के वर्मा 2.डा. मुकेश गर्ग 3.श्री आशीष पारगांवकर 4.डा. जगदीश कुमार 5.श्रीमती मंजीत अग्रवाल 6.श्री वी एस रावत

(1)	(2)	(3)
136.	मै. सारगाम मेटल्स प्रा.लि., (लेबोरेट्री सर्विसिज डिवीजन) 2, रमनवरम रोड, मनपक्कम, चैन्नई - 600089	1. श्री जी स्वामीनाथन 2. श्री वी महेश्वरी 3. श्री के वी कार्तिकेन
137.	मै. एस.जी.एस.इण्डिया प्रा.लि., 620, डायमंड हार्बर रोड, बहला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, फेस -II, 1 फ्लोर, कोलकाता - 700034	1. श्री अरनव चक्रवर्ती 2. श्री सत्यचरण मन्ना 3. श्री सुमित कुमार दास
138.	मै. कदम एनवायरमेंट कन्साल्टेंट्स, 871/बी/3, नीयर हिमालया मशीनरी, जी आई डी सी, मकरपुरा, वडोदरा - 390010	1. श्री रमेश जी कोटास्थाने 2. सुश्री रापना अमीन 3. सुश्री धारा पटेल
139.	मै. नेटल (इंडिया) लि., एस वी रोड, मनपाड़ा, थाणे - 400607 मुंबई	1. श्री दलीप के दूबे 2. श्रीमती श्रद्धा एस केरे 3. सुश्री स्वप्ना एस घाटगे
140.	मै. एनवायरो केयर लैब्स प्रा.लि., एनवायरो हाउस, ए-7, एम आई डी सी, वागले इन्डस्ट्रियल एस्टेट मेन रोड, थाणे - 400604 मुंबई	1. श्री रविन्द्र रामदास अमृतकर 2. श्रीमती तनुजा मंगेश ठाकुर
141.	मै. टीम टेस्ट हाउस (यूनिट ऑफ टीम इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलोजी प्रा.लि.) जी 1-584, सीता पुरा इन्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर, राजस्थान - 302001	1. डा.एस सी रस्तोगी 2. डा. एस माथुर 3. श्रीमती कविता माथुर
142.	मै. आदित्य एनवायरमेंटल सर्विस प्रा.लि. 107, हीरेन लाईट इंडस्ट्रियल एस्टेट मुगल लेन, महिम, मुंबई - 400016	1. श्री गुरमीत सिंह वधेरा 2. सुश्री हिमानी पी जोशी 3. सुश्री सुमेधा एस दतेर 4. श्री डी डी दल्वी 5. श्रीमती रोहिणी डी वासनिक 6. श्रीमती मोनाली जी पाटिल
143.	मै. एनवायरोकेम टेस्ट लेबोरेट्रीज, एच आई जी -79, सेक्टर - ई, अलीगंज, लखनऊ - 226024	1. डा. समीना हसन 2. सुश्री सरोज सिंह 3. श्री सरवर आलम खान "

2. तालिका में क्रम संख्या 134 से 143 (दोनों शामिल हैं) में उल्लिखित प्रयोगशालाओं की मान्यता इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी तथा इस मान्यता को केन्द्र सरकार द्वारा इससे पहले भी रद्द किया जा सकता है।

[फा. सं. क्यू. 15018/7/2003-सी पी डब्ल्यू]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र के सं. का.आ. 728(अ) दिनांक 21 जुलाई, 1987 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :-

का.आ.838(अ) दिनांक 23 सितम्बर, 1987, का.आ. 989(अ) दिनांक 17 नवम्बर, 1987, का.आ.156(अ) दिनांक 24 फरवरी, 1989, का.आ.489(अ) दिनांक 17 मई, 1989, का.आ.846(अ) दिनांक 24 अक्टूबर, 1989, का.आ.375(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 1990, का.आ.633(अ) दिनांक 31 अगस्त, 1994, का.आ.54(अ) दिनांक 15 जनवरी, 1997, का.आ.305(अ) दिनांक 7 अप्रैल, 1997, का.आ.173(अ) दिनांक 9 मार्च, 1998, का.आ.1508 दिनांक 27 जुलाई, 1998, का.आ.454 दिनांक 11 फरवरी, 2000, का.आ.683, दिनांक 23 मार्च, 2001, तथा का.आ.820(अ) दिनांक 2 अगस्त, 2002, का.आ.1257(अ) दिनांक 2 दिसम्बर, 2002, का.आ.462(अ) दिनांक 23 अप्रैल, 2003, का.आ.598(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2004, का.आ.1139(अ) दिनांक 15 अक्टूबर, 2004, का.आ.774 (अ) दिनांक 7 जून, 2005, का.आ.834(अ) दिनांक 31 मई, 2006 और का.आ.586(अ) दिनांक 1 सितम्बर, 2006।